

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

-:- आदेश -:-


क्रमांक-599 / तीन-13-20 / 23

सागर, दिनांक-22 / 06 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/934 दिनांक 08.02.2023 के संलग्न म0प्र0 राजपत्र (भाग-04) भोपाल दिनांक 03.02.2023 की कंडिका 10 के आलोक में म.प्र. न्यायिक सेवायें (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के अंतर्गत इस स्थापना पर पदस्थ निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण को पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कार्यालय आदेश क्रमांक 442 दिनांक 11.05.2023, आदेश क्रमांक 476 दिनांक 25.05.2023 अनुसार कुल स्वीकृत एरियर्स राशि की प्रथम किश्त की 25 प्रतिशत राशि एवं आदेश क्रमांक 566 दिनांक 16.06.2023 द्वारा द्वितीय किश्त का भुगतान होने के फलस्वरूप उन्हें निम्नानुसार **तृतीय किश्त** की 50 प्रतिशत की राशि में 30 प्रतिशत आयकर कटौती उपरांत संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय								
क.	एम्प. कोड	अधिकारी का नाम	आदेश क्रमांक दिनांक	अवधि	कुल एरियर्स की राशि	तृतीय किश्त (50 प्र.)	आयकर (30 प्र.)	भुगतान योग्य राशि
1	270005471	श्रीमति रुचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/ग्राम न्यायाधिकारी खुर्द	आ.क्र. 169 दिनांक 27.02.2023	01 / 01 / 16 से 28 / 02 / 23	11,97,305	5,98,653	1,79,596	4,19,057
2	180017778	श्री राजकुमार त्रिपाठी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड /ग्राम न्यायाधिकारी सागर	का.आ. क्रमांक 172 दिनांक 27.02.2023	19 / 03 / 16 से 28 / 02 / 23	10,78,202	5,39,100	1,61,730	3,77,370

टीप-अधिक भुगतान होने की स्थिति में वसूली योग्य राशि संबंधित के वेतन से वसूली की जावेगी।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

पृ० क्रमांक-2979 / तीन-13-20 / 23

सागर, दिनांक-24 / 06 / 2023

प्रतिलिपि:-

1. सर्वसंबंधित न्यायिक अधिकारीगण, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी सागर
3. वेतन लिपिक/लेखापाल कार्यालय अनुभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ भिजवाये जाने बावत् प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
Principal District & Session Judge
SAGAR (M. P.)